भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1400

उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

बुधवार, 22 माघ, 1947 (शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन एवं प्रशिक्षण योजनाएं

1400. श्री सदानंद महालू शेट तानवड़ेः **श्री मिथलेश कुमारः**
श्रीमती संगीता यादवः **श्री शंभू शरण पटेलः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2025 में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के अन्तर्गत नियोजित शिक्षुओं की संख्या कितनी है;

(ख) किन क्षेत्रों एवं उद्योगों में प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में सर्वाधिक सहभागिता है तथा इसमें एमएसएमई की क्या भूमिका है;

(ग) प्रशिक्षुता पूर्णता दरें बढ़ाने, वजीफा सहायता देने तथा प्रशिक्षुओं को नियमित रोजगार प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ाने के लिए किसी अतिरिक्त प्रोत्साहन अथवा नियामक सरलीकरण की योजना पर विचार कर रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) भारत सरकार, शिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत, दो प्रमुख केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं का कार्यान्वयन करती है, जिनमें से एक है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस), अगस्त 2016 में जिसका शुभारंभ कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा किया गया था और वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखा गया है, और दूसरी योजना है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस), जिसका शुभारंभ वर्ष 1973 में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा किया गया था और इसे वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। ये दोनों योजनाएँ मिलकर देश में शिक्षुता को बढ़ावा देती हैं। वर्ष 2025 में, एनएपीएस और एनएटीएस के अंतर्गत क्रमशः 11.84 लाख और 5.23 लाख शिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।

(ख) दोनों योजनाओं में, शीर्ष 13 क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में शिक्षुता में भागीदारी उल्लेखनीय रूप से अत्याधिक है, जिनमें ऑटोमोटिव, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (बीएफएसआई), विद्युत (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित), इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी/आईटीईएस, जीवन विज्ञान, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन और विनिर्माण, खुदरा, रबर, सेवा क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, व्यावसायिक सेवाएँ) और पर्यटन एवं आतिथ्य शामिल हैं। शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत एमएसएमई की भूमिका शिक्षुओं को कार्य-आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। एमएसएमई सहित ऐसे प्रतिष्ठान जिन्होंने शिक्षुओं को नियुक्त किया है, उनकी संख्या क्रमश: एनएपीएस-2 के तहत 25,423 और एनएटीएस के तहत 16,400 है।

(ग) एनएपीएस और एनएटीएस दोनों ही, 1961 के शिक्षुता अधिनियम के तहत नियुक्त शिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करके देश भर में शिक्षुता कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हैं। एनएपीएस के तहत शिक्षुओं को दिए जाने वाले वजीफे में सरकार का हिस्सा निर्धारित न्यूनतम वजीफे के 25% (प्रति शिक्षु अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह तक) तक सीमित है और एनएटीएस के तहत निर्धारित न्यूनतम वजीफे के 50% (प्रति शिक्षु अधिकतम 4,500 रुपये प्रति माह तक) तक सीमित है। सरकार एनएपीएस के नामित ट्रेड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र (एनएसी) और एनएपीएस और एनएटीएस के वैकल्पिक ट्रेड के लिए प्रवीणता प्रमाण पत्र (सीओपी) जारी करके सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए शिक्षुओं को मान्यता देती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने शिक्षुओं द्वारा पूरी की गई प्रशिक्षण अवधि को एनएपीएस (आईटीआई स्नातकों के लिए) और एनएटीएस दोनों के तहत अनुभव के रूप में मानने वाले पत्र जारी किए हैं। ये सभी प्रयास प्रशिक्षण पूरा करने के परिणामों को बढ़ावा दे रहे हैं और शिक्षुता प्रशिक्षण को रोजगार में परिवर्तित कर रहे हैं। एनएपीएस पर एजेएनआईएफएम(अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान) और एनएटीएस पर एनआईएलईआरडी (राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान) की तृतीय-पक्ष मूल्यांकन रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रशिक्षण पूरा होने पर शिक्षुओं को क्रमशः 72% और 74% पूर्णकालिक रोजगार प्राप्त होता है। इसके अलावा, दिरनांक 26 मई 2025 को आयोजित सीएसी (केंद्रीय शिक्षुता परिषद) की 38वीं बैठक ने देश के शिक्षुता ढांचे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति की। प्रमुख निर्णयों में शिक्षु वजीफे में 36% की वृद्धि शामिल थी, जिसमें भविष्य के संशोधन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) से जुड़े होंगे। यह शिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(घ) उपरोक्त बैठक में परिषद ने अधिनियम के दायरे में डिग्री शिक्षुता को प्रोत्साहित करने और ऑनलाइन एवं मिश्रित शिक्षण जैसे लचीले शिक्षण माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए शिक्षुता-आधारित डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम (एईडीपी) शुरू करने को भी अनुमोदन प्रदान किया, जिससे शिक्षु भारत और यहां तक कि विदेशों में भी क्लाइंट के स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान जैसे समावेशी उपाय भी लागू किए गए। यदि नए शिक्षु और कौशल प्रमाण पत्र धारक शिक्षु के लिए निर्धारित प्रशिक्षण स्थान भरे नहीं जा सकते हैं, तो प्रतिष्ठान अन्य श्रेणियों के शिक्षुओं में से इन्हें भर सकते हैं। एनआईसी-2008 वर्गीकरण के अंतर्गत उभरते क्षेत्रों (जैसे, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और

नवीकरणीय ऊर्जा) को शामिल करने के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण के दायरे का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, परिषद ने चेन्नई, कानपुर, कोलकाता और मुंबई में मौजूदा बोर्डों के अलावा नए क्षेत्रीय शिक्षुता बोर्डों की स्थापना की सिफारिश की। सीएसी के परामर्श से लिए गए इन निर्णयों को माननीय मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित कर भारत के राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। इसके अलावा, संसद की एक चयन समिति द्वारा वर्तमान में विचाराधीन जन विश्वास 2.0 विधेयक के तहत, शिक्षुता अधिनियम को व्यापार करने में सुगमता, अनुपालन-उन्मुख ढांचे के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रवर्तन मुख्य रूप से नागरिक दंड और संरचित प्रक्रियाओं के माध्यम से परिकल्पित है, जो वैधानिक जवाबदेही को बनाए रखते हुए अपराधमुक्त करने की घोषित नीति दिशा के अनुरूप है। एनएपीएस के तहत, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में शिक्षुता को बढ़ावा देने के लिए, दिनांक 20.05.2025 को एक लक्षित पायलट पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत एनईआर के उन उम्मीदवारों को, जो अपने मूल राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में शिक्षुता कर रहे हैं, प्रति माह 1,500 रुपए तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह एनएपीएस के तहत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1,500 रुपए तक के वजीफे के अतिरिक्त है।
